


मैसर्स सन एण्ड सैण्ड प्रोपकॉन प्राइवेट लिमिटेड, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी
जनसुनवाई दिनांक 16.12.2024 दोपहर: 01.30 PM बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत, शोभजी का गुड़ा,
तहसील-लसाड़िया, जिला-सलूमबर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 09.11.2024 एवं स्थानीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 09.11.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।


यह जनसुनवाई "मैसर्स सन एण्ड सैण्ड प्रोपकॉन प्राइवेट लिमिटेड" द्वारा प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार खनन परियोजना (प्लॉट न. 33/2022 (लीज क्षेत्र 4.4661 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 20.2989 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1466400 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 348909 TPA निकट ग्राम-बोड़की, तहसील-लसाड़िया, जिला-सलूमबर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 5/- करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताएं साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत्त तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 17.07.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।



वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)


अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूमबर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए परियोजना प्रस्तावक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "अ" में संलग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई की पर्यावरणीय सलाहकार कायनात आजम द्वारा उक्त इकाई के संबंध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब"के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आमंत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म, उदयपुर:-

किसी को कुछ पुछना हो तो वो अपना परिचय देकर पूछ सकता है कोई भी।

श्री शंकर लाल जी मीणा, सरपंच :-

हमारे यहां ये पौधे के लिए पैसे वगैरह जो लगाने है ये उन पर खरे उतरेंगे या नही ये पता कैसे करेंगे।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सलूमबर :-

आप कहाँ रहते हो?

डायरेक्टर:-

जयपुर रहता हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सलूमबर :-

ओनर भी आप ही हो और डायरेक्टर भी आप ही हो? सरपंच सा. सुन लो आप?

डायरेक्टर:-

जयपुर में ट्रीएफ माईन्स के नाम से माईन्स चलन रही है। साफ सफाई के लिये। मैं आपसे और हम लोगो का वार्षिक टारगेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड लगाये जाय और हम यहाँ माईन्स में डवलप करेंगे जहाँ पर हमारा कार्यस्थल है। कार्य कर्मभूमि है। यहाँ पर भी जरूर हम पेड लगायेंगे और विकास में ग्रामीण विकास में भी सहयोग करेंगे।

श्री शंकर लाल जी मीणा, सरपंच :-


गांव वाले कह रहे है कि उसमें सहयोग आपको अलग से ही करवाना पडेगा।


पर्यावरणीय सलाहकार :-

उसमें स्कूल की मरम्मत के लिये 1 लाख रु. का प्रावधान रखा गया है। हर साल 1 लाख का।

सरपंच साहब:-

साल के 1 लाख के लिये।


वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)


अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूमबर (राज.)

डायरेक्टर:-

जी वो तो हम करेंगे ही। भगवान की दया से माईन्स अच्छी चलती है तो और भी करेंगे। इसके अलावा भी जो सहयोग आपसी सामंजस्य से यह बात तो बिल्कुल सही है। महत्व इसको ज्यादा ही रहता है कि ज्यादा समाज सेवा करे। और अगर माईन्स अच्छी चलती है आप लोगों की कृपा से तो हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सलूमबर :-

ठीक है और बताइये। एक तो आपके लिये ये ऑनर है ये आप देख लिजिये आप? कोई किसी और किसी को कोई प्रश्न क्वारी पूछना है।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म, उदयपुर:-

और किसी को कुछ नहीं पूछना है।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सलूमबर :-

ये जो पर्यावरण ज्ञापन के लिये हम इकट्ठे हुए हैं जो भी माईन्स के डायरेक्टर या ऑनर है। आपसे निवेदन यही है कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट्स हो सीएसआर के तहत। वो यहाँ कि स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए ही उसमें प्रोजेक्ट किये जाये। ऐसा नहीं हो कि हमारी स्थानीय आवश्यकता कुछ और हो आप कहो कि हमारे सीएसआर इसमें प्रोजेक्ट भी नहीं है और हम उससे इतर कोई खर्चा कर ही नहीं सकते हैं। और अगर ऐसा कोई संशोधन स्कूल में किया जाना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके साथ में मतलब सीएसआर में जो एक्टिविटी मतलब मेंशन कल ही हुई है क्या? एक एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी में हम ही कुछ सुधार करवाना चाहे तो।

पर्यावरणीय सलाहाकार -

उसमें गांव की प्रायोरिटी।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म, उदयपुर:-

मतलब आसपास के गांवों में आप कर सकते हो?

पर्यावरणीय सलाहाकार:-


ये सीएसआर की एक्टिविटी उसके खर्च के लिये कम्प्लाइन्स देनी पडती है। वार्षिक जो फंड होता है उसकी 6 महीने में कम्प्लाइन्स भी होती है।


श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सलूमबर :-

किसको होती है ये कम्प्लाइन्स

पर्यावरणीय सलाहाकार:-

ये पोल्युशन में भी जाती है और एमओईएफ पर भी जाती है।


वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)


अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूमबर (राज.)

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूमबर :-

आप एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देंगे सीएसआर की कम्प्लाइन्स। आपने हर साल सीएसआर के तहत क्या क्या एक्टिविटीज करी है और हर साल फंड उसमें। आपके नोम्म में क्या था आपने क्या क्या किया वो चेंज उसमें आ जायेगा उस लिस्ट में। और सरपंच साहब बताइये कोई इशु।

श्री शंकर लाल जी मीणा, सरपंच :-

ईशु तो कोई नहीं है। वो काम हो जाये।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूमबर :-

आपके माईन्स खुल जायेगी अच्छी बात है। देश के विकास में एक गति मिलेगी वो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके जो भी अच्छे या बुरे प्रभाव होते हैं वो यहां के स्थानीय निवासियों को ही झेलने पडते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उनकी सिक््योरिटी के लिये, आर्थिक उत्थान के लिये, सामाजिक उत्थान के लिये, स्वास्थ्य के लिये क्या बेहतर कर पाये वो सारी चीजे लोकल लोगो को संतुष्ट करना बहुत जरूरी हैं। माईनिंग कर रहे हो तो ब्लास्टिंग भी होगी।

पर्यावरणीय सलाहाकार:-

ब्लास्टिंग नहीं होगी वायर सा युज करेंगे ब्लॉक कटेंगे।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूमबर :-

कैसे कटेंगे? ब्लास्ट नहीं होगा।


पर्यावरणीय सलाहाकार:-


नहीं वायर से करेंगे, एक तरह से माला होती है वो वायर से जैसे कटती है आवाज नहीं होती है, पानी से कटती है।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म, उदयपुर:-

आदरणीय एडीएम मैडम की अनुमति से मैं इस जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (परिशिष्ट "स" में सलंगन) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ट "द" में सलंगन) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म., उदयपुर महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूमबर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।


(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला - सलूमबर


(कुंज बिहारी पालीवाल)
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
क्ष.को.रा.प्र.नि.म. उदयपुर
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

मैसर्स सन एण्ड सैण्ड प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, क्वार्टर एवं फेल्सपार (प्लॉट नं. 33/2022, क्षेत्रफल-4.4661 हेक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1466400 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टर एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 348909 TPA निकट ग्राम- बोड़की, तहसील-लसाड़िया, जिला-सलूमबर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 18.12.2024 को दोपहर: 01.30 PM बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत, शोभजी का गुड़ा, तहसील-लसाड़िया, जिला-सलूमबर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:-

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत	अतिरिक्त पब्लिक रजिस्ट्रार	
2	कुंभ बिहार पालीवाल	वरिष्ठ वै. अफिसरी, ए. ए. रा. प्र. वि. मंडल, उदयपुर	
3	C.P. Jeengar	RPCB, Udaipur	
4	Kaynat Jeengar	CRIPL, Udaipur	
5	Devi Chand Jeangri	CRIPL, Udaipur	
6	शुभम शंकर	पुल	शुभम
7	शम्भु लाल	वाडकी	शम्भु लाल
8	नरग मिह	वाडकी	नरग मिह
9	शंकर लाल	वाडकी	शंकर लाल
10	भगाराम	वाडकी	भगाराम
11	वासुदेव	वाडकी	वासुदेव
12	मानम लाल	शंभु का गुड़ा	मानम
13	मिह	शंभु का गुड़ा	मिह
14	नरग लाल	भगाराम का गुड़ा	
15	प आराम	देवागढ़िया	
16	शैलानसिंह राजपूत	वाडकी	शैलानसिंह
17	नाथु लाल	वाडकी	नाथु लाल
18	कैलाश चंड शर्मा	आसीर	कैलाश चंड
19	पतरा कोठारी	उदयपुर	
20	शंभु प्रकाश गंगानिया	गंगानिया	
21	दीपक कुमार शर्मा	- " -	दीपक शर्मा

जा का डूंगरपुर से गाड़ी में बैठकर कलाल घाटा उतरा और युवक के पैदल घर जाते समय अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। जिसे गंभीर घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत से 6 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चक महुडी निवासी बंशीलाल ने बताया कि उसका भाई लक्ष्मण पारगी गुजरात में कारीगरी का काम करता है। वह दिवाली का त्योहार मनाने घर आया था। गुरुवार को वह काम से डूंगरपुर शहर आया था। रात के समय गाड़ी में बैठकर वह वापस घर जा रहा था। कलाल घाटा बस स्टैंड पर उतरकर पैदल घर जाते समय अज्ञात गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी।

एस.एस. सारंगदेवोत।
ना क्या है? होम्योपैथी एक ऐसी कित्सा विधा है जिसमें किसी भी मारी का बिना किसी साइड इफेक्ट इलाज संभव है। इस पेशे में मानवीय दनशील होना भी जरूरी है। जब कि परेशान होता है तभी वह डॉक्टर पास जाता है इसलिए पहले मरीज पूरी बात सुनना जरूरी है।

शिक्षण शिविर में 4 छात्राएं लाभान्वित



शिविर में अध्ययन करते छात्र।

शिविर में अध्ययन करते छात्र।
शिविर के दौरान मुख्य कार्य सीखने को बढ़ाने के लिए कार्य पुस्तिका गतिविधियों पर आधारित था। कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग करने के लिए कार्य पुस्तिका में विषयों और गतिविधियों, फिल्टरिंग और छत्रों के घटों पर संपर्क किया। शिविर के बाद विषय टीम ने सामूहिक प्रदर्शन साझा की। सभी छात्रों से नियमित संपर्क से कक्षाओं में उपस्थित होने को प्रोत्साहित किया। छात्रों को समूहों में स्थित किया गया ताकि वे एक-दूसरे

की मदद कर सकें। जो विद्यार्थी पढाई में अच्छे हैं उन्हें अपने अध्ययन के साथ-साथ कमजोर बच्चों की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई। गौरतलब है कि हिंदुस्तान जिक द्वारा शिक्षा संभल कार्यक्रम शिक्षा पर केंद्रित सीएसआर पहल है जो 2008 से संचालित है। जो कि विद्या भवन सोसाइटी के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों के बीच वैचारिक ज्ञान को मजबूत करना है।

Email:-np_ntd@yahoo.in
क्रमांक/न.पा.नाथ./नामा./2024/12554
Ph.-02953-233526
दिनांक : 06/11/2024
--:आपत्ती सूचना:-
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का उपविभाजन/एकीकरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर उपविभाजन/एकीकरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पट्टी सं का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्री हितेश सोनी पिता श्री गिरिराज सोनी एवं श्री योगेश कुमार सोनी पिता श्री गिरिराज सोनीर यादव मोहल्ला, रामपुरा, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या -ए, क्षेत्रफल 480 वर्गफीट यादव बस्ती, सुखाडिया, नाथद्वारा	रास्ता व बाबुलाल जी का मकान	आम रास्ता	भूखण्ड संख्या-बी	मांगी लाल जी का मकान

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

भौतिक कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)
Email:-np_ntd@yahoo.in
क्रमांक/न.पा.नाथ./नामा./2024/12560
Ph.-02953-233526
दिनांक : 06/11/2024
--:आपत्ती सूचना:-
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण / नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पट्टी सं का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्रीमती सीमा गुर्जर पत्नी श्री गिरिराज जी गुर्जर	गुजावाली गली वल्लभपुरा, नाथद्वारा मू.शे.612व.फ.	आम रास्ता	श्री मनसुख लाल जी का मकान	श्री जी लाल जी का मकान	श्री गिराज जी का मकान

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

भौतिक
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ- 470, यू.सी.टी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल :- rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स सन एण्ड सैण्ड प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, एम.एल.न. 33/2022 (क्षेत्रफल 4.4661 हेक्टेयर) "क्वार्टर्ज एव फेल्डसपार", ग्राम-बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-सलुम्बर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।
1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सन एण्ड सैण्ड प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, एम.एल.न. 33/2022 (क्षेत्रफल 4.4661 हेक्टेयर) "क्वार्टर्ज एव फेल्डसपार", ग्राम-बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-सलुम्बर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टर्ज एव फेल्डसपार माईन (एम.एल.न. 33/2022, क्षेत्रफल 4.4661 हेक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 348909 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और सूचित मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, सलुम्बर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना झूंरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरुन्धत भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना झूंरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एव, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सलुम्बर। 6) उपखण्ड अधिकारी, लसाडिया, जिला-सलुम्बर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कम्परा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।
अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई दिनांक 16.12.2024 (सोमवार) को दोपहर 01:30 बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत शोभाजी का गुडा, तहसील-लसाडिया, जिला-सलुम्बर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप को विड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सूचना में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
क्षेत्रीय अधिकारी

13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

have availed loan/s facility(ies) have availed loan/s facility(ies) from Tyger Capital Pvt Ltd vide Certificate of Incorporation dated 6th June 2024, Tyger Capital Pvt Ltd Corporate Affairs, herein after refer to 'TCPL' by mortgaging their property. As your loans were classified as non-performing assets. Tyger Capital Pvt Ltd Demand notice under Section 13(2) of The Securitization and Asset Management Act, 2002 (the Act), the contents of which are being published for public notice. Securitization and Asset Management (Enforcement) Rules, 2002

Property Address	Demand Notice Date / O/s Amount / O/s Date
along with structure standing there on property admeasuring 35x55=1925 Sq. Ft. KILLA No. 18 Chak 12 SGR Tehsil under as East - 55'-0" Plot of Rajender Agricutural Land, North - 35'-0" Killa No. 18, Conversion Land	14-Oct-24 Rs. 2010322/- As on Date 14-Oct-24
along with structure standing there on Patta No. 45, Book No. 38, Total Bhagwangarh issued & Executed by Bhail Suratgarh Dist - Sriganganagar, Road, West - 15'-0" Sarvanik Bhumi, South - 20'-0" Plot of Keru Ram	14-Oct-24 Rs. 2155268/- As on Date 14-Oct-24
erty bearing house situated at Patta No. 17-18, Gram Panchayat, Ganthilasar, Jaipur, Total land measuring 171.05 Sq. ft. Rasta, West - Devi Lal ka Rasta, South - Rewant ram dolly House	14-Oct-24 Rs. 4126452.49/- As on Date 14-Oct-24
erty bearing house situated at Patta No. 17-18, Gram Panchayat, Ganthilasar, Jaipur, Total land measuring 163.61 Sq. ft. Rasta, West - Devi Lal ka house, South - Rewant ram dolly House	
1. Situated at Scheme Daulatpura Jaipur Rajasthan admeasuring 96 Sq. ft. West - Other Land, North - 130'	
8. situated at Scheme Balaji Vihar, Jaipur, Rajasthan admeasuring 500 Sq. ft. West - Road 30, North - 130'	
9. situated at Scheme Balaji Vihar, Jaipur, Rajasthan admeasuring 492 Sq. ft. West - Road 30, North - 130'	
10. situated at Scheme Balaji Vihar, Jaipur, Rajasthan admeasuring 334 Sq. ft. West - Road 30, North - 130'	
Hold Residentil Property land situated at Kalu Bass Gram Shri Jaipur, Rajasthan admeasuring 334 Sq. ft. East - Road, West - H/O Jora, South - Kodamal Swami	14-Oct-24 Rs. 2018376/- As on Date 14-Oct-24
Agricultural Plot No. 2 land measuring 1.239, 72/2, Gram Udasar, The & East - Open Land, West - Plot No. 1, Pushpendra Singh	14-Oct-24 Rs. 2009279/- As on Date 14-Oct-24

lied upon to make payment of the above mentioned amount in full within 60 days of this notice failing which the secured property shall be sold in public auction. Your attention is drawn to the fact that as per section 13(13) of the said act, you are not entitled to redeem the secured property without our consent.

For Tyger Capital Pvt Ltd.
 Sd/-
 Authorised Officer



BORDER SECURITY FORCE
CT KUMAR CHANDAN SINGH
12.04.1985 - 09.11.2005

Bordermen Salute and proudly remember today their brave comrade, who made supreme sacrifice while fighting militants in Mustafabad (J&K).

The Rajasthan State Co-operative Bank Ltd.
 DC-1, Lalkothi Shopping Center, Opposite Nehru Balodyan, Tonk Road, Jaipur-302015.
 Ph.: 2744814, 2744476. Website: www.rscb.org.in

Tender Notice No. RSCB/Purchase/24-25/01
 Online tenders are invited on eProcurement Portal, Government of Rajasthan (https://eproc.rajasthan.gov.in) from eligible bidders for following:-
 1. RSCB/Oracle/ATS/24-25/01 - Request for Proposal (RFP) for Annual Technical Support of Oracle Exadata Appliance and Oracle Security Products & Oracle OEM Advanced Customer Services Resource for Operational Support
 2. RSCB/NGRTGS/24-25/01 - Request for proposal for AMC of Payment Hub Management System, UMAC tool subscription, NDS-Call, NDS-OM, CROMS, CCIL reporting, IBM MQ latest version license subscription, ISO 20022 NEFT messaging along with 24 x 7 resident engineer support for SFMS & CCIL applications
 3. RSCB/ATM Switch/ 24-25/01 Request For Proposal for Electronic Financial Transaction Switch (EFT Switch) on Opex Model
 4. RSCB/CKYCR/24-25/01 - Request for proposal for Supply of customized CKYCR software, its Installation, UAT, Testing, Commissioning & Maintenance of Central KYC Records Registry Software (CKYCR) for 30 banks in Rajasthan

Tentative Schedule for tenders:-

S. No.	Events Particulars	Date & time for tender 1	Date & time for tenders 2 & 3	Date & time for tenders 4
1.	Start date and time of download of e-bid	9.11.2024, 10 AM	9.11.2024, 10 AM	9.11.2024, 10 AM
2.	Pre Bid Meeting	-	20.11.2024, 11.30 AM	13.11.2024, 11.30 AM
3.	Last date and time of download of e-bid	28.11.2024, 5 PM	28.11.2024, 5 PM	18.11.2024, 5 PM
4.	Last Date of submission of e-bid with Bid security	28.11.2024, 5.00 PM	28.11.2024, 5.00 PM	18.11.2024, 5.00 PM
5.	Opening of Technical bid/e-bid	29.11.2024, 11.30 AM	29.11.2024, 11.30 AM	19.11.2024, 11.30 AM
6.	Websites where tender is available	https://eproc.rajasthan.gov.in, https://rscb.org.in, https://sppp.raj.nic.in.		

GM (P&D) & Convener, High Level Purchase Committee



(क्षेत्रीय कार्यालय)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर - 301001
 Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम/क्षे.का बालोतरा/KB-259(294)/ दिनांक: 12.12.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री दिनेश कुमार बागड़ा पुत्र श्री प्रभु नारायण, 'फेल्डस्पर और चेजा पत्थर खनन परियोजना', प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,07,600 टी.पी.ए.(आर.ओ.एम.), एम.एल. संख्या 19/2001, क्षेत्रफल-04 हेक्टेयर, गांव-कलीबा की ढाणी के नजदीक, तहसील-कोटपूतली, जिला कोटपूतली- बहरोड़ से सम्बंधित (कुल कलस्टर क्षेत्रफल (विस्तार के पश्चात)- 8.17 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता (विस्तार के पश्चात)- 7,48,930 टी.पी.ए.(आर.ओ.एम.)) वायु प्रदूषण प्रारंभिक पर्यावरण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
 2. चूंकि, श्री दिनेश कुमार बागड़ा पुत्र श्री प्रभु नारायण द्वारा उक्त परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मध्य दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अधिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
 3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एन.जे. 1533 दिनांक 14/09/2006 एवं संशोधन के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
 4. उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है-
 1. कार्यालय जिला कलस्टर, कोटपूतली-बहरोड़, 2. कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़, 3. कार्यालय सहायक खनिज अधिकारी, कोटपूतली-बहरोड़, 4. उपखण्ड कार्यालय, कोटपूतली, कोटपूतली-बहरोड़, 5. जन सम्पर्क अधिकारी, कोटपूतली-बहरोड़, 6. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, रासन सचिवालय, जयपुर, 7. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल-4 पर्यावरण मंत्र, संसदीय क्षेत्र झालाना हूंसी जयपुर, 8. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर राजस्थान, 9. कार्यालय ग्राम पंचायत, गांव कलीबा की ढाणी, तहसील-कोटपूतली, कोटपूतली-बहरोड़।
 अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आप उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई दिनांक 12.12.2024 को प्रातः 11.00 बजे प्रोसेडर के प्रस्तावित स्थल गांव- कलीबा की ढाणी, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़ में उपस्थित होकर अपने सुझाव/अपेक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं साथ ही इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर में स्थित उपस्थित होकर, डाक के माध्यम से व/अथवा ईमेल ID- ro.alwar@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

अवदीय (दीपेन्द्र झरवाल)
 वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी